रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244475
CG-DL-E-18032023-244475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
No. 1206] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1255(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की **अधिसूचना संख्या का.आ. 4750 (अ) दिनांक 06 अक्टूबर, 2022,** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -52 (पुराना रा. रा. 12) के कि.मी. 256.550 से कि.मी.289.500 कोटा-दरा सेक्शन (कोटा- झालावाड़ रोड) तक के भूखण्ड पर रेस्ट एरिया के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"16 दिनांक 2022 "** को **"दैनिक भास्कर"** और **"राजस्थान पत्रिका"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -52 (पुराना रा. रा. 12) के कि.मी. 256.550 से कि.मी.289.500 कोटा-दरा सेक्शन (कोटा- झालावाड़ रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		**जिले का नाम: कोटा**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लाडपुरा				
	गांव का नाम: थोलपुरा				
1	76	निजी	माल द्वितीय (सिंचित)	0.12	श्री कृष्णमुरारी पुत्र शम्भूदयाल, बृजेश पुत्र शम्भूदयाल, भेरूलाल पुत्र देवीलाल, मुकुटबिहारी पुत्र शम्भूदयाल एवं राजेश पुत्र शम्भूदयाल ग्राम थोलपुरा (76)
			कुल	**0.1200**	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO/11012/03/2007/3A/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1255(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4750 dated 06th Oct, 2022,** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction building (widening/ two lane with paved shoulder/ four laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway - 52 (old NH-12) on the stretch of land from Km 256.550 to Km 289.500 Kota-Darah Section (Kota Jhalawar Road) in the District of Kota in the State Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in **"D*ainik Bhaskar*"** and "***Rajasthan Patrika***" both dated ***16th Nov, 2022*** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling on National Highway - 52 (old NH-12) on the stretch of land from Km 256.550 to Km 289.500 Kota-Darah Section (Kota Jhalawar Road) in the District of Kota in the State Rajasthan

State: RAJASTHAN District: KOTA					
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ladpura				
	Village: Tholpura				
1	76	Private	Maal Dwitiya (Irrigated)	0.12	Shri Krishan Murari S/o Shambhu Dayal, Brijesh S/o Shambhu Dayal, Bherulal S/o Devilal, Mukut Bihari S/o Shambhu Dayal and Rajesh S/o Shambhu Dayal Village Tholpura 76
			TOTAL	**0.12**	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/11012/03/2007/3A/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA